

**फारम-VIII - क**  
**कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत**  
**भवन की योजना के अनुमोदन**  
**उपविधि संख्या- 8(4)**

आप के आवेदन संख्या- 268 तिथि- 28.10.2016 के संदर्भ में

मेसर्स धरीदा रेसिडेन्सी प्रा0 लि0, डाइरेक्टर- श्री पंकज कुमार सिंह, पता-स्वदेश टॉवर, स्कनपुरा, बेल्ती रोड, पटना-14

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 268. प्लॉट नं0- 365(P), 367(P) & 369(P), खाना नं0- 151 एवं 213, तौजी नं0-55A, धाना नं0- 22, मौजा- जलालपुर, पता-धाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केसु नं0- 8.3 /17-18 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल Block A=6951.175 वर्ग मीटर Block B=1340.970 वर्ग मीटर, कुल 8292.145 वर्ग मीटर एवं B+G+6 की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2677.00 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.19 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनियम

नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 (RERA) की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

हो -

नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- 83 / दिनांक:- 23/09/2017

प्रतिलिपि:- मेसर्स घरौदा रेसिडेन्सी प्रा0 लि0, डाइरेक्टर- श्री पंकज कुमार सिंह, पता-स्वदेश टॉवर, रुकनपुरा, बेली रोड, पटना-14 को सूचनार्थ प्रेषित।

  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद दानापुर निजामत  
23/9/17

# नगर परिषद दानापुर निजामत

तकियापुर दीघा, दानापुर

Email- nagarparishaddanapur@gmail.com

आपका पत्र दिनांक 11.05.2018

प्रेषित,

श्री. ए.के. जैन  
11/5 दानापुर निजामत  
नगर परिषद दानापुर  
नगर कार्यपालक पदाधिकारी

**विषय- Affordable Housing and SULM Rehabilitation & Redevelopment Housing Policy, 2017 के तहत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने / ई0डब्लू0एस0 के लिए प्लान जमा करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा भवन निर्माण / बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु आवेदन सं0 507 द्वारा किया गया था। जिसका खाता नं0-1.5.1.4.2.1.2 प्लॉट नं0-1.5.1.4.2.1.2 तौजी नं0-1.5.1.4.2.1.2, थाना नं0-1.5.1.4.2.1.2, मौजा-1.5.1.4.2.1.2 है।

Affordable Housing and SULM Rehabilitation & Redevelopment Housing Policy, 2017 के अनुसार 4000 वर्ग मी0 भूमि से कम एवं ज्यादा के लिए अनिवार्य प्रावधान किया गया है :-

| क्र0 सं0 | प्रस्तावित नक्शा का विल्टप ऐरिया                               | प्रावधान                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 4000 वर्ग मी0 भूमि से कम (दोनों में से कोई एक अनिवार्य रूप से) | 10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 का प्रावधान<br>रु0 750/- वर्ग मी0 की दर से शेल्टर फण्ड जमा करना।<br>(कुल विल्टप ऐरिया का 10 प्रतिशत वर्ग फीट में) |
| 2        | 4000 वर्ग मी0 भूमि से ज्यादा                                   | 15 प्रतिशत अनिवार्य रूप से ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 का प्रावधान                                                                                       |

अतः आपके द्वारा प्रस्तावित नक्शा जिसका कुल विल्टप ऐरिया 1.5.1.4.2.1.2 वर्ग मी0 है। उपर्युक्त विवरण में अंकित प्रावधानों के शेल्टर फण्ड की राशि / ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 निर्माण प्लान अनिवार्य रूप से जो लागू हो जमा करें ताकि नक्शा स्वीकृत प्रश निर्गत किया जा सके।

10/6 11/5/2018

रु0 621910.875/-

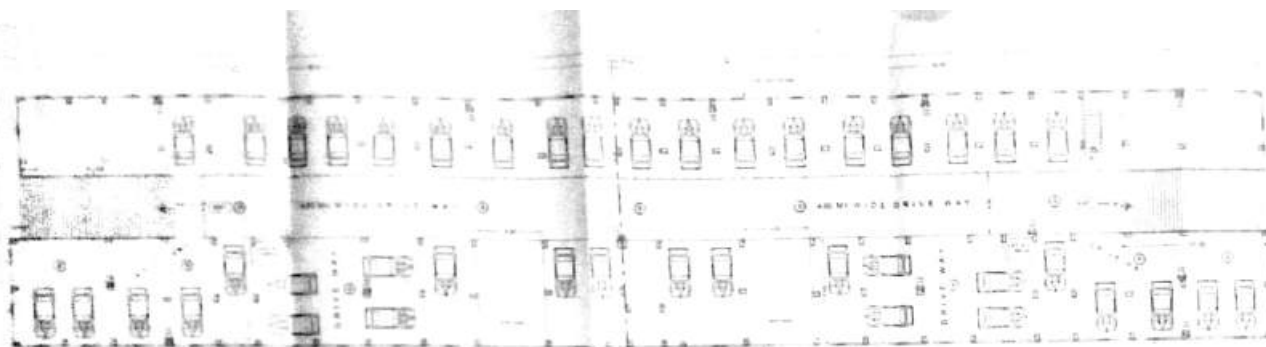
621910.875

621910.875

12/5/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद दानापुर निजामत



EXISTING BLOCK PLAN BLOCK A

**AREA CALCULATION**  
 TOTAL PLOT AREA = 1,000,000 SQ. FT.  
 1 ACR PER 43,560 SQ. FT.  
 TOTAL PLOT AREA = 22.96 ACRS

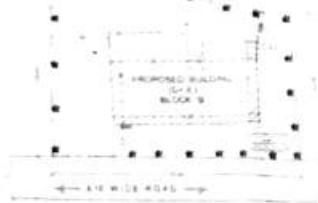
**BLOCK A - 1 NO.**  
 EXISTING FLOOR BUILT UP AREA = 100,000 SQ. FT.  
 PROPOSED FLOOR BUILT UP AREA = 100,000 SQ. FT.  
 FIRST FLOOR BUILT UP AREA = 100,000 SQ. FT.  
 SECOND FLOOR BUILT UP AREA = 100,000 SQ. FT.  
 THIRD FLOOR BUILT UP AREA = 100,000 SQ. FT.  
 FOURTH FLOOR BUILT UP AREA = 100,000 SQ. FT.  
 FIFTH FLOOR BUILT UP AREA = 100,000 SQ. FT.  
 SIXTH FLOOR BUILT UP AREA = 100,000 SQ. FT.

**BLOCK B - 1 NO.**  
 EXISTING FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 PROPOSED FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 FIRST FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 SECOND FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 THIRD FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 FOURTH FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 FIFTH FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 SIXTH FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.

**TOTAL BUILT UP AREA = 1,000,000 SQ. FT.**

**LEGEND**

- 1. EXISTING BUILDING FOOTPRINT
- 2. PROPOSED BUILDING FOOTPRINT
- 3. EXISTING PARKING LOT
- 4. PROPOSED PARKING LOT
- 5. EXISTING DRIVEWAY
- 6. PROPOSED DRIVEWAY
- 7. EXISTING ROAD
- 8. PROPOSED ROAD
- 9. EXISTING FENCE
- 10. PROPOSED FENCE
- 11. EXISTING UTILITY
- 12. PROPOSED UTILITY
- 13. EXISTING LANDSCAPE
- 14. PROPOSED LANDSCAPE
- 15. EXISTING WATER
- 16. PROPOSED WATER
- 17. EXISTING SEWER
- 18. PROPOSED SEWER
- 19. EXISTING GAS
- 20. PROPOSED GAS
- 21. EXISTING TELEPHONE
- 22. PROPOSED TELEPHONE
- 23. EXISTING CABLE
- 24. PROPOSED CABLE
- 25. EXISTING OTHER
- 26. PROPOSED OTHER



**PROPOSED BUILDING (BLOCK B)**  
 EXISTING FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 PROPOSED FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 FIRST FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 SECOND FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 THIRD FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 FOURTH FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 FIFTH FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.  
 SIXTH FLOOR BUILT UP AREA = 20,000 SQ. FT.

**TOTAL BUILT UP AREA = 1,000,000 SQ. FT.**

[illegible]